

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

दिनांक :- 10.09.2020

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9884 / 6049

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री संजय कुमार मीणा [लिंक न. 9884] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, बारां - [19403] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 27/02/2019 से 28/02/2019 तक 2 दिवस
दिनांक 01/03/2019 से 07/03/2019 तक 7 दिवस
दिनांक 12/03/2019 से 04/04/2019 तक 24 दिवस
दिनांक 29/05/2019 से 29/05/2019 तक 1 दिवस
दिनांक 03/06/2019 से 04/06/2019 तक 2 दिवस
दिनांक 10/06/2019 से 15/06/2019 तक 6 दिवस
दिनांक 24/06/2019 से 30/06/2019 तक 7 दिवस
दिनांक 01/07/2019 से 20/07/2019 तक 20 दिवस
कुल 69 दिवस

उक्त कुल 69 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री संजय कुमार मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। उक्त अवकाश स्वीकृति आदेश किन्न (राजस्थान) विभाग, जयपुर से प्राप्त सहजति दि. 20.08.20 के क्रम में जारी किए जाते हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

दिनांक :- 10.09.2020

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9884 / 6049

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, बारां
2. कोषाधिकारी बारां
3. श्री /श्रीमती / सुश्री संजय कुमार मीणा [9884] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, बारां
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)